उन्नाव कांड : भाजपा विधायक सेंगर के खिलाफ आरोपपत्र

लखनऊ, 11 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उनके आवास पर एक किशोरी से कथित बलात्कार के मामले में बुधवार को आरोपपत्र दायर किया। यह जानकारी यहां अधिकारियों ने दी।

यहां एक विशेष सीबीआइ अदालत में दायर आरोपपत्र में सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है। नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार की जांच तीन महीने पहले सीबीआइ को सौंपी गई थी।

अधिकारियों ने दावा किया कि जांच एजंसी ने पाया कि नाबालिग लड़की से विधायक के आवास पर 4 जून, 2017 को रात आठ बजे बलात्कार किया गया जहां उसे शशि सिंह लेकर

विशेष सीबीआइ अदालत में दायर आरोपपत्र में सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। उन पर पोक्सो कानून की धारा तीन और चार के तहत भी आरोप लगाए गए हैं जो कि नाबालिगों से बलात्कार से संबंधित है

गया था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उसके बाद लड़की से 11 जून और 20 जून 2017 के बीच अलग अलग समूह के आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया जिसकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने विधायक द्वारा कथित बलात्कार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी जो चार जून को हुआ था। उन्होंने सामूहिक बलात्कार के संबंध में ही एक प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका की अभी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने उससे बलात्कार किया था। चार बार के विधायक व उत्तर प्रदेश विधानसभा में बांगरमऊ का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंगर को 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामला उस समय प्रकाश में आया जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास किया।

लड़की के पिता की मृत्यु से पहले का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे विधायक के भाई और अन्य द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निर्दयतापूर्वक पीटा गया और उस पर राइफल के बट से हमला किया गया। मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसने इस साल अप्रैल में सीबीआइ जांच की सिफारिश की।

माओवाद प्रभावित जिले में पुल का उद्घाटन करेंगे पटनायक

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 18 जुलाई को एक पुल का उद्घाटन करेंगे जो कि माओवाद प्रभावित जिले के संपर्कहीन क्षेत्रों को पास के शहरों से जोड़ेगा। सरकारी अधिकारी ने बताया कि जनबाई नदी पर बने गुरुप्रिया पुल के जरिए मलकानगिरी के नौ पंचायतों के आसपास के शहरों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। (भाषा)

बीएसएफ के हेलिकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारा गया

औरंगाबाद, 11 जुलाई (भाषा)।

बिहार में औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना अंतर्गत सहरसा गांव में बुधवार को तकनीकी खराबी के कारण बीएसएफ के एक हेलिकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारना पड़ा।

दाउदनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज कुमार तिवारी ने बताया कि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण पायलट को इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जाता है कि पटना के दानापुर से इस हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और गोह के समीप उसमें खराबी का पता चला।

● इसमें सीआरपीएफ के एडीजी कुलदीप सिंह और आइजी चारु सिंह सहित कुल नौ लोग सवार थे

गौरतलब है कि इस हेलिकॉप्टर में सीआरपीएफ के एडीजी कुलदीप सिंह और आइजी चारु सिंह सहित कुल नौ लोग सवार थे और ये सभी देव के भलुवाही स्थित सीआरपीएफ कैंप जा रहे थे। तिवारी ने बताया कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित हैं।

कचरा इकाई का निरीक्षण करें : पंचाट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जुलाई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में लगी माइक्रोवेव कचरा शोधन इकाई का दो हफ्ते के अंदर निरीक्षण करें। एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित संस्थान में कचरा शोधन इकाई की क्षमता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अपर्याप्त बताने के बाद यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा–डीपीसीसी नियमों के तहत उपकरणों के कामकाज की निगरानी करेगा।

अधिकारियों ने निराना गांव जाकर पीड़ितों को सुरक्षा का भरोसा दिया

मुजफ्फरनगर, 11 जुलाई (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी राजीव शर्मा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंतदेव तिवारी सिखेडा थाना क्षेत्र के ग्राम निराना पहुंचे और पीड़ितों को पूर्ण सुरक्षा और हमलावरों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। निराना गांव पिछले दिनों कुछ परिवारों के पलायन करने को लेकर चर्चाओं में आया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित भयमुक्त होकर रहे किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष की तत्काल गिरफ्तारी के लिए संबंधितों को निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। उन्होंने ग्राम प्रधान इस्तकार को भी सचेत किया कि वे पूरे गांव के प्रधान है न कि किसी एक वर्ग के।

उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चले और हर कीमत पर गांव में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम रखे और निष्पक्ष रहे। जिलाधिकारी राजीव शर्मा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंतदेव तिवारी ग्राम निराना में एसपी सिटी ओमबीर सिंह के साथ पूरे ग्राम का दौरा किया और पीड़ित पक्ष के लोगो से मिले। उन्हें पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी। जिलाधिकारी राजीव शर्मा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंतदेव ने बताया कि ग्राम निराना में 29 जून 2018 को एक बारात के आगमन के अवसर पर कुछ युवकों में आपसी हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा।

हाई कोर्ट ने पर्यावरणविद सानंद को रिहा करने का निर्देश दिया

नैनीताल, 11 जुलाई (भाषा)।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आइआइटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर से संन्यासी बने ज्ञान स्वरूप सानंद को 12 घंटे के भीतर रिहा करने और गंगा पर पनबिजली परियोजना के निर्माण को रोकने की उनकी मांग की तार्किकता पर विचार करने का बुधवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने उस स्थान का खुलासा करने को कहा, जहां सानंद को रखा गया है। पीठ ने 12 घंटे के भीतर मुख्य सचिव और संन्यासी की बैठक कराने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा, स्वामी ज्ञान स्वरूप की सुरक्षा के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव जिम्मेदार होंगे। उन्हें चिकित्सा जांच के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराइए और अगर उनके उपचार की जरूरत है तो उसका खर्च सरकार वहन करेगी, अन्यथा सानंद को मैत्री सदन वापस भेजा जाए। हरिद्वार स्थित मैत्री सदन में 22 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे सानंद की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस मंगलवार को उन्हें बलपूर्वक किसी अज्ञात स्थान पर ले गई थी।

आइएएस अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर उठाया सवाल

श्रीनगर , 11 जुलाई (भाषा)।

आइएएस अधिकार शाह फैजल अपने 'रेपीस्तान' ट्वीट को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। शाह ने कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए बुधवार को पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे समाज के नैतिक सवालों से स्वयं को पूरी तरह से अलग रखें क्योंकि किसी भी चीज को आलोचना से समझा जा सकता है। 2010 बैच के आइएएस अधिकारी फैजल इस समय अवकाश लेकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश भारत में 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' को दबाने के लिए 'औपनिवेशिक भावना' वाला सेवा नियम लगाया जा रहा है।

फैजल ने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों से कहा जा सकता है कि वे समाज के नैतिक सवालों से अलग रहें और चुप रहें क्योंकि किसी भी चीज को सरकार की नीति की आलोचना के तौर पर देखा जा सकता है ?

MERGER OF BRANCH

Due to administrative exigencies, it has been decided to close our **Delhi Gujranwala Town Branch (3026)** and merge it with **Delhi Derawal Nagar Branch (3027)** with effect from **10.10.2018**. The combined branch shall be functioning at the following address.

Muthoot Finance Ltd.
Address: Ground Floor, B-10, Derawal Nagar, Delhi - 110009
Phone No.: 011-27232270/71/72
Mail: mgder3027@muthootgroup.com
We solicit your committed patronage and support.

VALIANT COMMUNICATIONS LIMITED
Regd. Office: 71/1 Shivaji Marg, New Delhi - 110 015
CIN: L74899DL1993PLC056652

NOTICE

Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, August 14, 2018, at its Corporate office, to consider and approve, *inter-alia*, the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2018.

For **Valiant Communications Limited**
Place: New Delhi — **Manish Kumar**
Date : 11.07.2018 — Company Secretary

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः एम-6, II रा तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली- 110048
कॉर्पोरेट कार्यालयः बी-22, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
CIN: L65100DL1994PLC058837
वेबसाईटः www.fslindia.com, ईमेल आईडीः secretarial@fsltechnologies.com
टेलीफोनः 0120-2534066, फैक्सः +91-120-2534111

सूचना
(कम्पनी की इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)
निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाता में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अनिवार्य अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली'') तथा उसके परवर्ती संशोधन के प्रावधानों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

आईईपीएफ नियमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे विनिष्ट शेयरों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ (कोष) में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिए सात लगातार वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान अथवा उसका दावा नहीं किया गया है। नियमावली 6 (1) के अनुसार ''विनिर्दिष्ट शेयरों को जब ऐसे शेयर कोष में अंतरित किये जाने के लिये नियत हों, के 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकरण द्वारा खोली गई प्राधिकरण की डीमैट खाता में क्रेडिट किया जायेगा।''

उक्त नियमावली के अनुसार बैंक ने उसका दावा करने का अनुरोध करते हुए जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले लगातार सात वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किये हों, को आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयरों के शेयरधारकों को सूचना भेज दी है। अतएव, ऐसे शेयरधारकों जिनका वित्त वर्ष 2010-11 से लाभांश अप्रदत्त/ दावा रहित रहा है, को सूचित किया जाता है कि कम्पनी आगे कोई भी सूचना दिये बिना नियत तिथि अर्थात 12 अक्टूबर, 2018 से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण की कार्रवाई शुरू करेगी।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों तथा आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरण के लिये नियत शेयरों के विवरणों को अपनी अपनी वेबसाईट www.fslindia.com पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की वेबसाईट के निवेशक खंड में जांच कर लें।

यदि शेयरधारक 30 सितम्बर, 2018 तक उपरोक्त लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो शेयरधारकों को आगे कोई सूचना दिये बिना कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण की आईईपीएफ सस्पेंस खाता में क्रेडिट के लिये शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत कम्पनी की विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के अंतरण की कार्रवाई करेगी। कृपया ध्यान रहे कि उक्त नियमावली के अनुसार दावा-रहित लाभांश राशि तथा आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के लिये कम्पनी के प्रति कोई दावा नहीं की जा सकती है।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित दावा-रहित लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण की आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित शेयरों का नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वे वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनको शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित किया जायेगा, यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाता में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसे जारी करने के बाद उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जाएंगे। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाता में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्टः मै. लिंक इन्टाईम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए), 44, कम्युनिटी सेन्टर, फेज-1, पीवीआर के निकट, नारायणा इंड. एरिया, नई दिल्ली-110028, टेली. 011-41410592/ 93/ 94, ई-मेलः delhi@linkintime.co.in से सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रिचा अरोड़ा
पूर्ण कालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव
DIN: 07825684
तिथिः 11.7.2018
स्थानः नोएडा

इंडियन ओवरसीज बैंक
एससीएफ-38, सेक्टर-11-12, हुडा, पानीपत, फोनः 0180-2670285, 2660532, ई-मेलः iob 1297@iob.in

(परिशिष्ट IV- (नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक, पानीपत शाखा, एससीएफ-38, सेक्टर 11-12, हुडा, पानीपत के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.5.2018 जारी कर ऋणधारक मै. सनराइज ट्रांस इंडिया, प्रॉप. संदीप कुमार, पुत्र श्री जगवीर सिंह, निवासी ग्राम मछरौली, तहसील समलखा, जिला पानीपत को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 92,55,811.99 + 8.5.2018 से अन्डेविटेड ब्याज (रुपये बानवे लाख पचपन हजार आठ सौ ग्यारह तथा पैसे निन्यानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 10 जुलाई, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 92,55,811.99 + 8.5.2018 से अन्डेविटेड ब्याज (रुपये बानवे लाख पचपन हजार आठ सौ ग्यारह तथा पैसे निन्यानवे मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 731, सेक. 25, पार्ट-2, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुडा'ज डेवलपमेन्ट, पानीपत 132103 में स्थित श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जगवीर सिंह, निवासी ग्राम मछरौली, तहसील समलखा, जिला पानीपत के स्वामित्व में भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 10.7.2018, स्थानः पानीपत — **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक**

HDFC BANK We understand your world
विशेष प्रचालन विभाग, II रा तल, इंडियन एक्सप्रैस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों)/ मार्टगैजर(रों) ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन तथा ब्याज को वापस लौटाने में चूक की है तथा उनकी ऋण खाताओं को गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचनाएं जारी की गई लेकिन वह उन्हें प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई और इसीलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा हैः

ऋणधारक का नामः 1. मै. यूनिक इन्फोवेज पी.लि. द्वारा उनके निदेशकों 308, 3रा तल, स्काईलार्क बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

गारन्टर/ मार्टगैजर का नामः 2. श्री विपुल जैन, 3. सुश्री उषा जैन, 4. श्री गोपेन्द्र कुमार जैन, 5. सुश्री मीनाक्षी जैन
सभीः मै. यूनिक इन्फोवेज पी. लि. 308, 3रा तल, स्काईलार्क बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
साथ हीः सी-266, गली नं. 8, आदर्श नगर, नई दिल्ली

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति के स्वामी
बैंक के पक्ष में प्रदत्त स्टॉक तथा बुक डेब्ट्स सहित सभी चालू परिसम्पत्तियों पर प्रथम तथा एकाकी प्रभार द्वारा हाइपोथेकेशन	मै. यूनिक इन्फोवेज पी.लि.

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं. सम्पत्ति का विवरण	स्वामित्व
1. सी-266, गली नं. 8, आदर्श नगर, नई दिल्ली में सम्पत्ति	श्री गोपेन्द्र कुमार जैन
सूचना की तिथिः 28 जून, 2018	एनपीए की तिथिः 01.05.2017

बकाया राशि (31.5.2018 को): रु. 24,51,90,625.71 (रुपये चौबीस करोड़ इक्यावन लाख नब्बे हजार छः सौ पच्चीस तथा पैसे इकहत्तर मात्र) तथा 01.06.2018 से 18% की दर पर ब्याज की राशि बकाया तथा आपके द्वारा देय है।

उपरोक्तः ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारन्टरों/ मार्टगैजरों को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाए राशि का भुगतान करें, अन्यथा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एचडीएफसी बैंक लि. के लिए
हस्ता./-
नीरज महाजन, प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 12.7.2018
स्थानः दिल्ली

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
सम्पर्क पताः 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 **सम्पर्क सं.** 91 9250 009963
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
4706498	दिनेश कुमार मुदगल (ऋणधारक) एवं अनीता गौतम एवं देवांशु एप्लिएंसेस प्रा.लि. (सह-ऋणधारक)	रु. 2,42,63,198/- 22 जनवरी, 2018 को	5.7.2018

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी सम्पत्तियों का विवरणः डी.एस.टी. सीएचवीएस लिमिटेड की ले आउट योजना में ब्लॉक नं. ए में प्लॉट नं. 33 पर निर्मित प्लॉट, माप 160 वर्ग यार्ड्स में आनुपातिक शेयर तथा प्लॉट से संबंधित अन्य अधिकारों के साथ बेसमेन्ट, 2रा तल तथा 3रा तल, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 के साथ प्लॉट ए-33, चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 34, पूर्वः सर्विस लेन, दक्षिणः प्लॉट नं. 32, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क जिसका विशेष रूप से विवरण सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्सेस के पास दस्तावेज सं. 1071, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 21, पृष्ट नं. 186-188 के रूप में पंजीकृत कॉन्वीयन्स डीड तिथि चौबीस (24) जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवे में दिया गया है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए
तिथिः 12.7.2018
स्थानः दिल्ली

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(सीआईएनः L65910DL1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालयः चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी प्लेस, सैक्टर-V, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोनः 011-29561180, फैक्स : 011-29561171
ईमेलः complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइटः www.tfciltd.com

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

(अदत्त/बेदावा लाभांश और कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) खाते में स्थानांतरण)

विषयः (1) शेष अदत्त/बेदावा लाभाशों का दावा करने के लिये स्मरण पत्र।
(2) कंपनी के बेदावा इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) खाते में स्थानांतरण

एतद्द्वारा कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम, 2016 (दि नियम) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (दि अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसरण में सूचना दी जाती है।

अधिनियम के अनुच्छेद 124(5) के अनुसार, सात वर्ष की अवधि के लिये शेष अदत्त या बेदावा सभी लाभाशों को निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम और इसके नियमों के अधीन यथापेक्षित वित्तीय वर्ष 2009-10 तक और इसके सहित अदत्त या बेदावा लाभांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित किये जा चुके हैं।

नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 124(6) में अपेक्षित है कि उन सभी शेयरों को, जिनके संबंध में पिछले लगातार सात या अधिक वर्षों के लिये लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा बेदावा हैं (संगत शेयर), कंपनी द्वारा यथा निर्धारित विवरणों की विवरणिका के साथ आईईपीएफ के नाम में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में 2009-10 तक और इसके सहित पिछले लगातार सात या अधिक वर्षों के लिये लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा बेदावा हैं वे पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ के नाम में स्थानांतरित कर दिये गये हैं और यथा निर्धारित इनके विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.tfciltd.com** पर डाल दिये गये हैं।

कंपनी ने उपर्युक्त नियमों के अधीन उचित कार्रवाई करने के लिये संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं, पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2018 के तहत सूचित कर दिया है।

अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन यथापेक्षित कंपनी के अदत्त/बेदावा लाभाशों के पूर्ण विवरण इसकी वेबसाइट **www.tfciltd.com** और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार की वेबसाइट पर डाल दिये गये हैं।

हम आप से वर्ष 2010-11 से आगे के आप द्वारा शेष अदत्त/बेदावा लाभाशों, यदि कोई है, के लिये टूरिज़्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल आवेदन दायर करते हुए दावा करने का अनुरोध करते हैं।

यदि हमें ऊपरवर्णित लाभांशों के लिये आपका **15 सितंबर, 2018** तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, हम उक्त अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन के दृष्टिगत संगत शेयरों को आगे कोई सूचना दिये बगैर इस संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आईईपीएफ में स्थानांतरण कर देंगे। शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि संगत शेयरों का आईईपीएफ में स्थानांतरण हो जाने पर भविष्य में लाभांश सहित, यदि कोई है, भविष्य के सभी लाभों को आईईपीएफ में जमा करा दिया जायेगा।

इसके अलावा, शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि ऊपर वर्णित स्थानांतरण कर दिये जाने के बाद, आईईपीएफ से रिफंडों का दावा उक्त नियमों के प्रावधानों की अनुपालना में केवल आईईपीएफ के पास किया जा सकता है। कृपया नोट कर लें कि बेदावा लाभांशों और नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ को स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा।

यदि शेयरधारकों के पास विषय मामले में कोई प्रश्न है तो वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं (अथवा ई-मेल करें **complianceofficer@tfciltd.com**) अथवा हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (पताः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड यूनिटः टीएफसीआई लिमि, प्रथम तल, एफ-65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 **फोनः** 011-41406149/51/51 पर संपर्क करें अथवा इस पते पर ई-मेल करें: **admin@mcsregistrars.com** अथवा **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com**

कृते टूरिज़्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
संजय आहुजा
कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 जुलाई, 2018

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टस लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालयः 33-35 त्यागराज मार्केट, नई दिल्ली-110003
टेलीफोन नं.: +91-120-4031400; **फैक्स :** +91-120-4031672
ई-मेल : investorrelations@nuc